

दिनांक

टी0ए0 मिस केस सं0 259/2018-19

आदेश

अभ्युक्ति

03/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्रीमति निर्मला बिरुली, पति- गौरी शंकर बिरुली, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- मतकमहातु, थाना- 642, खाता नं०- 211, प्लॉट नं०- 1343, रक्वा- 0.05½ एकड़ भूमि क्रेता सिद्धेश्वर कालुन्डिया, पिता-स्व0 बागुन कालुन्डिया, ग्राम- बडा खुन्टा, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना0 मु0 सं0- 225(m) 2001-2002 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 520, दिनांक- 31.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निजी कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सिद्धेश्वर कालुन्डिया, पिता- स्व0 बागुन कालुन्डिया, ग्राम- बडा खुन्टा, थाना- मुफसिल, के पास 2,25,000.00/- (दो लाख पच्चीस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्रीमति निर्मला, पति- श्री गौरी शंकर बिरुली, ग्राम- मतकमहातु, क्रेता सिद्धेश्वर कालुन्डिया, पिता- स्व0 बागुन कालुन्डिया, ग्राम- बडा खुन्टा, थाना- मुफसिल के पास 2,25,000.00/- (दो लाख पच्चीस हजार) रुपये में मौजा- मतकमहातु, थाना- 642, खाता नं०- 211, प्लॉट नं०- 1343, रक्वा- 0.05½ एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।